

## भारत की नो-फ्लाई लसिट

### प्रीलमिन्स के लिये:

नो-फ्लाई लसिट

### मेन्स के लिये:

नो-फ्लाई लसिट में प्रतर्बिधति व्यवहार

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को इंडिगो एयरलाइंस द्वारा नो-फ्लाई लसिट में कर तीन माह के लिये हवाई यात्रा से प्रतर्बिधति कर दिया गया है।

## हालिया संदर्भ

- कुमार कामरा पर यह प्रतर्बिध इंडिगो (IndiGo) एयरलाइंस में उड़ान के दौरान समाचार चैनल **रपिब्लिक टीवी** के संपादक तथा ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के गवर्नरिंग बोर्ड के अध्यक्ष, अरुण गोस्वामी का मजाक बनाने के कारण लगाया गया है।
- इंडिगो एयरलाइंस के साथ-साथ स्पाइसजेट (SpiceJet), एयर इंडिया (Air India) और गो एयर (GoAir) द्वारा भी उन पर प्रतर्बिध लगाया गया है।

## नो-फ्लाई लसिट क्या है?

- भारतीय संदर्भ में नो-फ्लाई लसिट उन यात्रियों के मामले में जारी की जाती है जो हवाई यात्रा के दौरान अपने शारीरिक, मौखिक या फरि किसी भी आपत्तजनक व्यवहार के माध्यम से यात्रा में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- इस लसिट का संकलन और रखरखाव नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation- DGCA) द्वारा एयरलाइंस द्वारा दिये गए विवरण के आधार पर किया जाता है।

## नो-फ्लाई लसिट (No-Fly List) के अंतर्गत प्रतर्बिधति व्यवहार:

किसी भी व्यक्त के अनयित्तरति व्यवहार को इस लसिट के अनुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- पहली श्रेणी में **मौखिक व्यवहार** को शामिल किया जाता है अर्थात् यदि कोई व्यक्ति हवाई यात्रा के दौरान आपत्तजनक टपिपणी या शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे तीन माह के लिये हवाई यात्रा से प्रतर्बिधति किया जा सकता है।
- दूसरी श्रेणी में **शारीरिक व्यवहार** को शामिल किया जाता है यानी किसी के साथ मारपीट करना, धक्का देना या फरि गलत इरादे से किसी को छुना इत्यादि। इस व्यवहार के लिये यात्री को छह महीने तक हवाई यात्रा से वंचित किया जा सकता है।
- तीसरी श्रेणी में किसी को **जान से मरने की धमकी** देने को शामिल किया गया है और इस व्यवहार के लिये कम-से-कम दो साल का प्रतर्बिध आरोपित किया जा सकता है।

## नो-फ्लाई लसिट के नयिम:

वर्ष 2017 में सरकार ने हवाई यात्रा के दौरान वधितनकारी या अमान्य व्यवहार को रोकने के लिये नो-फ्लाई सूची हेतु दशा-नरिदेश जारी किये। इन दशा-नरिदेशों के अनुसार,

- हवाई यात्रा के दौरान अनयित्तरति व्यवहार की शिकायत पायलट-इन-कमांड द्वारा दर्ज की जाएगी तथा इसकी जाँच एयरलाइन द्वारा गठित आंतरिक समिति द्वारा की जाएगी।

